



2026:AHC-LKO:432-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 1 सन 2026

लालजी तिवारी

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग
लखनऊ एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	सज्जाद हुसैन, बदर इफ्तिखार, कुलसुम फ़िरोज़
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।
2. प्रश्नगत चयन प्रक्रिया, जिसमें अपीलकर्ता कांस्टेबल पद पर नियुक्ति के लिए विचाराधीन था, वर्ष 2018 में शुरू हुई थी। श्री निशांत शुक्ला, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता के अनुसार, यह वर्ष 2019 में पूरी हुई। अपीलकर्ता याचिकाकर्ता ने वर्ष 2025 में रिट याचिका संख्या 13323/2025 दायर की, जिसे विलंब और लापरवाही के आधार पर खारिज कर दिया गया।
3. अपीलकर्ता याचिकाकर्ता के अधिवक्ता 'अमित कुमार गुप्ता एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य' के मामले में दिनांक 10.10.2025 को पारित निर्णय पर भरोसा करते हैं, जिसकी रिट - ए संख्या 14066/2019 है। अपीलकर्ता याचिकाकर्ता का दावा है कि यह निर्णय उसकी याचिका के समान है, हालांकि उक्त निर्णय का प्रस्तर 13 इस प्रकार है:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

“(13) इस आदेश का लाभ स्पष्ट रूप से केवल उन याचिकाकर्ताओं को ही मिलेगा जिन्होंने इस न्यायालय से संपर्क किया है।”

4. उक्त रिट याचिका, जिसे 10.10.2025 को अनुमति दी गई थी, वर्ष 2019 में ही दायर की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि आदेश का लाभ केवल उन्हीं याचिकाकर्ताओं को मिलेगा जिन्होंने इस न्यायालय से संपर्क किया है।
5. अपीलकर्ता याचिकाकर्ता ने तब तक इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया था, बल्कि उक्त याचिका पर निर्णय के बाद संपर्क किया था, इसलिए वह स्पष्ट रूप से तटस्थ स्थिति में है और इसलिए मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।
6. तदनुसार, विशेष अपील **खारिज** की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 6, 2026

जे.के.दिनकर

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।